जानकी प्रसाद बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य
ए.आई.आर. 1973 एस. सी. 930

तथ्य

माखन लाल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य के मामले में दिए गए निर्णय के फलस्वरूप जम्मू और कश्मीर राज्य द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 32 के अधीन याचिकायें पेश की गई। जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों की आरक्षण नियमावली 1970 तैयार की गई। इसमें वह कसौटी निर्दिष्ट की गई जिसके आधार पर ''पिछड़े वर्ग'' की परिभाषा के अन्तर्गत किस व्यक्ति को इसमें शामिल किया जा सकता है। याचिकादाताओं ने प्रतिवादी अध्यापकों को दी गई पदोन्नतियां रद्द करने के लिए याचिकायें पेश की। उन्होंने दावा किया कि वरिष्ठ होने और कुछ वर्षों तक प्रधान अध्यापक के पद पर स्थानापन्न रूप से काम करने के बावजूद उन्हें प्रतिवादी के पक्ष में, जो कि उनसे वरिष्ठता सूची में नीचे थे, निकाल दिया गया। उनका यह भी अभिकथन था कि पुराना सामुदायिक अनुपात अभी तक कायम है। उन्होंने यह दावा किया कि यद्यपि कुछ पद पिछड़े वर्गों के लिए नियम के अंतर्गत आरक्षित हैं किन्तु यह सब मुसलमानों को 90 प्रतिशत पद सुरक्षित कराने की चाल है।

विवाद्यक (इशू)

(1) अनुच्छेद 16(4) के अधीन ''नागरिकों का पिछड़ा वर्ग'' शब्द का विस्तार क्षेत्र।

(2) क्या जम्मू-कश्मीर अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की आरक्षण नियमावली, 1970, असंवैधानिक है और इसके द्वारा अनुच्छेद 16(4) का उल्लंघन हुआ है।

निर्णय

याचिकाएं 5 सदस्यों की न्यायपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत हुई। न्यायपीठ के सदस्य थे मुख्य न्यायमूर्ति एस.एम. सीकरी, न्यायमूर्ति ए.एन. रे, डी.जी. पालेकर, एम.एच. बेने तथा एस.एन. द्विवेदी। न्यायालय की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति पालेकर ने कहा कि अनुच्छेद 16(4) में ''नागरिकों का पिछड़ा वर्ग'' पद अनुच्छेद 15(4) में ''नागरिकों का कोई सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग'' पद, अर्थ की दृष्टि से समान है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि केवल अकेला शैक्षिक पिछड़ापन अथवा सामाजिक पिछड़ापन नागरिकों के किसी वर्ग को पिछड़ा समझने का पर्याप्त आधार नहीं है। पिछड़ापन सिद्ध करने के लिए दोनों तत्व अर्थात् सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन अवश्य होने चाहिए।

न्यायालय ने टिप्पणी की:

यद्यपि पिछड़े वर्ग का वर्णन करने के उद्देश्य से ''सामाजिक दृष्टि से'' तथा ''शैक्षिक दृष्टि से'' दोनों शब्द इकट्ठे इस्तेमाल किए जाते हैं, हर व्यक्ति विचार कर सकता है किं यदि कोई एक पूरा वर्ग शैक्षिक दृष्टि से उन्नत है तो शिक्षा के सुधारात्मक प्रभाव के कारण वह वर्ग सामान्यतः सामाजिक दृष्टि से भी उन्नत होता है।

न्यायालय ने नियमों का व्यापक रूप से इस दृष्टि से पुनर्विलोकन किया कि राज्य द्वारा किया गया वर्गीकरण सही है या नहीं। सरकार द्वारा बनाए गए नियम, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पिछड़ा वर्ग संबन्धी समिति की सिफारिशों पर आधारित थे। यह, समिति जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति जे.एन. वजीर की अध्यक्षता में गठित की गई थी और इसने नवम्बर, 1969 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। इन नियमों के अनुसार पिछड़े वर्गों को निम्नलिखित छः वर्गो में वर्गीकृत किया गया था :

(1) कुछ विनिर्दिष्ट पारम्परिक व्यवसाय।

(2) 23 विनिर्दिष्ट सामाजिक जातियां।

(3) छोटे काश्तकार।

(4) अल्प आय वाले पेंशनभोगी।

(5) युद्ध विराम रेखा के आस-पास के क्षेत्र के निवासी।

(6) राज्य में ''खराब बस्तियों'' के कुछ क्षेत्र और उनसे संबन्धित प्रत्येक पिछड़ा माना गया व्यक्ति।

उच्चतम न्यायालय को वस्तुतः इन सभी वर्गों में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से दोष दिखाई दिया। हमारा विचार है कि इस विषय पर न्यायालय के विश्लेषण का सार देने का प्रयास करने की बजाए इसे पूर्णतः उद्धृत करना उपयुक्त होगा। निर्णय से संबद्ध उद्धरणों की फोटोस्टेट प्रति साथ दी जा रही है।